2026 का विधेयक संख्यांक 155

[दि केरल (एलट्रेशन आफ नेम) बिल, 2026 का हिन्दी पाठ]

केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026

केरल राज्य का नाम परिवर्तन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केरल (नाम परिवर्तन) अधिनियम, 2026 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन नियत की गई तारीख अभिप्रेत है;

(ख) "समुचित सरकार" से संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 में प्रगणित किसी विषय से संबंधित किसी विधि की बाबत, केन्द्रीय सरकार और किसी अन्य विधि की बाबत, राज्य सरकार, अभिप्रेत है;

(ग) "विधि" के अन्तर्गत संपूर्ण केरल राज्य या उसके किसी भाग में विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत भी है ।

केरल राज्य का नाम-परिवर्तन ।

3. नियत दिन से ही केरल राज्य, केरलम राज्य के नाम से ज्ञात होगा ।

अनुच्छेद 31क का संशोधन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 31क के खंड (2) के उपखंड (क) की मद (i) में, "केरल", शब्द के स्थान पर, "केरलम", शब्द रखा जाएगा ।

अनुच्छेद 290क का संशोधन ।

5. संविधान के अनुच्छेद 290क में, "केरल", शब्द के स्थान पर, "केरलम", शब्द रखा जाएगा ।

संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन ।

6. संविधान की पहली अनुसूची में, "1. राज्य", शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 5 के स्तंभ "नाम" के अधीन, "केरल", शब्द के स्थान पर, "केरलम", शब्द रखा जाएगा ।

संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन ।

7. संविधान की चौथी अनुसूची में "सारणी" शीर्षक के अधीन प्रविष्टि 9 के दूसरे स्तंभ में, "केरल", शब्द के स्थान पर, "केरलम", शब्द रखा जाएगा ।

विधियों के अनुकूलन की शक्ति ।

8. (1) धारा 3 द्वारा केरल राज्य के नाम परिवर्तन को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार, नियत दिन से एक वर्ष के अवसान से पूर्व, आदेश द्वारा, नियत दिन से पूर्व बनाई गई किसी विधि में, निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में, ऐसे अनुकूलन और उपांतरण कर सकेगी, जो आवश्यक या समीचीन हों और तदुपरान्त प्रत्येक ऐसी विधि इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी को, उक्त उपधारा के अधीन समुचित सरकार द्वारा अनुकूलित या उपांतरित की गई किसी विधि को निरसित या संशोधित करने से, निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति ।

9. इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन से पूर्व बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 8 के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवृत्त करने के लिए अपेक्षित या सशक्त कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण, विधि का, उसके सार को प्रभावित किए बिना, ऐसी रीति में, जो न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष विषय के संबंध में आवश्यक या समुचित हो, अर्थ लगा सकेगा ।

विधिक कार्यवाहियां ।

10. जहां, नियत दिन से ठीक पूर्व ऐसी कोई विधिक कार्यवाहियां लंबित हैं, जिनमें केरल राज्य एक पक्षकार है, वहां उन कार्यवाहियों में केरल राज्य के स्थान पर केरलम राज्य प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

केरल सरकार ने केंद्रीय सरकार को केरल विधान सभा द्वारा 24 जून, 2024 को पारित संकल्प भेजा, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार 'केरल' राज्य का नाम परिवर्तन कर 'केरलम' करने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं ।

2. संविधान के अनुच्छेद 3 के परंतुक द्वारा यथा अपेक्षित, राष्ट्रपति ने केरल राज्य विधानमंडल को इस विधेयक को इस पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए संदर्भित किया । केरल विधान सभा ने केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 पर विचार किया और सर्वसम्मति से विधेयक से सहमति जताते हुए एक संकल्प अंगीकार किया ।

3. केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 केरल राज्य के नाम में ऐसे परिवर्तन का उपबंध करता है और इसमें संविधान के उपबंधों में आवश्यक संशोधन तथा परिणामी उपबंध भी सम्मिलित हैं ।

नई दिल्ली,
29 जुलाई, 2026

अमित शाह

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 8 राज्य सरकार को खंड 3 द्वारा केरल राज्य के नाम को केरलम के रूप में परिवर्तित करना प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए विद्यमान विधियों को अनुकूलित और उपांतरित करने के लिए सशक्त करता है । यह शक्ति नियत दिन से केवल एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध रहेगी । अनुकूलन और उपांतरण, अनुकूलित विधियों के सारतत्व को प्रभावित नहीं कर सकते ।

2. विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

भारत का संविधान से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

31क. (1)   *   *   *   *   *

संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति।

(2) इस अनुच्छेद में,–

(क) "संपदा" पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का या उसके समतुल्य स्थानीय पद का उस क्षेत्र में प्रवृत्त भू-धृतियों से संबंधित विद्यमान विधि में है और इसके अंतर्गत–

(i) कोई जागीर, इनाम या मुआफी अथवा वैसा ही अन्य अनुदान और तमिलनाडु और केरल राज्यों में कोई जन्मम् अधिकार भी होगा ;

*   *   *   *   *   *

कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय।

290क. प्रत्येक वर्ष छियालीस लाख पचास हजार रुपए की राशि केरल राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और उस निधि में से तिरुवांकुर देवस्वम् निधि को संदत्त की जाएगी और प्रत्येक वर्ष तेरह लाख पचास हजार रुपए की राशि तमिलनाडु राज्य की संचित निधि पर भारित की जाएगी और उस निधि में से 1 नवंबर, 1956 को उस राज्य को तिरुवांकुर-कोचीन राज्य से अंतरित राज्यक्षेत्रों के हिंदू मंदिरों और पवित्र स्थानों के अनुरक्षण के लिए उस राज्य में स्थापित देवस्वम् निधि को संदत्त की जाएगी ।

*   *   *   *   *   *

पहली अनुसूची

(अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4)

1. राज्य

नाम	राज्यक्षेत्र
* * *	* * *
5. केरल	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।

*   *   *   *   *   *

चौथी अनुसूची

[अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2)]

राज्य सभा में स्थानों का आबंटन

निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को उतने स्थान आबंटित किए जाएंगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं :

सारणी

*   *   *   *   *   *

9. केरल 9

*   *   *   *   *   *